संख्या-1837(1)/बयालिस-2021-104(विविध)/2014

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021**

विषय :- चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1420/नि0चौक बाक्सिंग हाल/2021-22, दिनांक 04.10.2021, शासनादेश संख्या- 2256/बयालिस-2016-104(विविध)/2014, दिनांक 21.12.2016, शासनादेश संख्या- 446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017, वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-1929/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 04.10.2017, शासनादेश 866/बयालिस-2018-104(विविध)/2014, दिनांक 20.04.2018 व शासनादेश संख्या- 909/बयालिस-2019-104(विविध)/2014, दिनांक 25.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1194.82 लाख निर्गत करने के उपरान्त जी0एस0टी0 की वांछित धनराशि रू0 82,97,264.00 को मूल लागत रू0 1194.82 में जोडते हुए कुल रू0 1277.79 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 82.96 लाख (रूपया बयासी लाख छियान्वे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद संख्या-84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 82.96 लाख (रूपया बयासी लाख छियान्वे हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगा, जिसका उपयोग निर्माण इकाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा जी0एस0टी0 के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु नही किया जायेगा।

(2)- निदेशक, खेल द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0एस0टी0 की शुद्धता का दायित्व निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(3)- शासनादेश संख्या- 2256/बयालिस-2016-104(विविध)/2014, दिनांक 21.12.2016, शासनादेश संख्या- 446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017, वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या- 1929/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 04.10.2017, शासनादेश 866/बयालिस-2018-104(विविध)/2014, दिनांक 20.04.2018 व शासनादेश संख्या- 909/बयालिस-2019-104(विविध)/2014, दिनांक 25.04.2019 में अंकित शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

(4)- निदेशक, खेल कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराने हेतु समय-समय पर समिति गठित कर जॉच कराये, उक्त के उपरान्त कार्य से संतुष्ट होने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ता समिति से जॉच कराने के उपरान्त पूर्णतय: संतुष्ट होने के उपरान्त ही हैंडओवर- टेकओवर की कार्यवाही करायें।

(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश दिनांक 22.03.2021 की शेष व्यवस्थाऐं यथावत् लागू रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231-2021**,** दिनांक 22.03.2021 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2021-22 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-1837(1)/बयालिस-2021-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ।

5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

10- नियोजन अनुभाग- 4

11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।